न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 153 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. खैरदीन पुत्र मोहम्मदखां जाति मुसलमान तेली निवासी हेराजोणियों की ढाणी, रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।	बनाम	1.जनियत पुत्री मोहम्मदखां पत्नी चैनखां जाति मुसलमान तेली निवासी रतेऊ हाल निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर। 2.हासम पुत्र मोहम्मदखां जाति मुसलमान तेली निवासी हेराजोणियों की ढाणी, रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर। 3.मीमो पुत्री मोहम्मदखां पत्नी रहमीखां जाति मुसलमान तेली निवासी मेव तहसील सोजत। 4.शकु पुत्री मोहम्मदखां पत्नी सुलेमान जाति मुसलमान तेली निवासी तेलियों की होटल के पास, बागुण्डी तहसील पचपदरा 5.सुभानखां पुत्र गफुरखां 6.गनीखां पुत्र गफुरखां 7.सतारखां पुत्र गफुरखां जाति मुसलमान तेली निवासी हेराजोणियों की ढाणी, रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर। 8.तहसीलदार साहब, बायतु जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व वाद संख्या 29 / 2013 बअनवान जनियत बनाम खैरदीन वगै. निर्णय दिनांक 13.09.2017।

उपस्थिति

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 24.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मुस्लिम विधि से शासित होते है तथा पक्षकारान के पूर्वज स्व रहीम पुत्र ईस्माईल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की खातेदारी में ग्राम रतेऊ में खसरा संख्या 758 रकबा 157.11 बीघा, खसरा संख्या 846 रकबा 132.11 बीघा व खसरा संख्या 460 रकबा 131.16 बीघा समस्त रकबा 422.04 बीघा का आये थे, वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मोहम्मदखां के वारिशान है तथा मोहम्मदखां के फौत होने पर उनकी फौतगी के म्यूटेशन में वादीनी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ दर्ज नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर मोहम्मद के स्थान पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज करवा दिया जिसकी जानकारी वर्तमान में वादीनी को होने पर वादीनी ने वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 460 रकबा 131.11 बीघा मौजा हेराजोणियों की ढाणी व खसरा संख्या 758 रकबा 154.11 बीघा में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहेखातेदार घोषित किया जावे इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मोहम्मदखां द्वारा अपने जीवनकाल में हिब्बा के द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दे दी गई थी तथा हिब्बा के अनुसार ही मोहम्मद की मृत्यु के बाद मोहम्मद की फौतगी का म्यूटेशन सही पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात के आधार पर साक्ष्य लिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में आलोच्य अपीलाधीन निर्णय पारित कर उतरदाता संख्या 1 को अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 के साथ 1/14 हिस्से की सहखातेदार घोषित किया। पेशी तारीख दिनांक 08.03.2017 के बाद अपीलांट व उनके अधिवक्ता के द्वारा बार बार आगामी पेशी के बारे में पूछताछ करने के बाद भी कोई पेशी तारीख नोट नहीं करवाई गई तथा दिनांक 08.03.2017 के बाद की समस्त आदेशिकाऐं एक ही दिन संधारित कर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया जो न्यायालय की शक्तियों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। कब्जाधारी खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलांट के पिता मोहम्मदखां द्वारा अपने जीवनकाल में हिब्बा के द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपने पुत्रों अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 को दे दी गई थी तथा हिब्बा के अनुसार ही मोहम्मद की मृत्यु के बाद मोहम्मद की फौतगी का म्यूटेशन सही पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात के आधार पर साक्ष्य लिये बिना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट की अनुपस्थिति में आलोच्य अपीलाधीन निर्णय पारित कर उतरदाता संख्या 1 को अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 के साथ 1/14 हिस्से की सहखातेदार घोषित किया। पेशी तारीख दिनांक 08.03.2017 के बाद अपीलांट व उनके अधिवक्ता के द्वारा बार बार आगामी पेशी के बारे में पूछताछ करने के बाद भी कोई पेशी तारीख नोट नहीं करवाई गई तथा दिनांक 08.03.2017 के बाद की समस्त आदेशिकाऐं एक ही दिन संधारित कर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया जो न्यायालय की शक्तियों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। वादग्रस्त आराजी पर उतरदाता संख्या 01 का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त ही किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा कब्जाधारी खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन है।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि मुस्लिम उतराधिकार विधि में प्रावधान है कि अगर मृतक की वारीस पुत्र व पुत्रियों दोनों हो तो, बहने अपने भाई के साथ अवशिष्ट वारीस बन जाती है। व विरासत में अपने पिता की संपति से अपने भाई से आधा प्राप्त कती है, इस विधि से उतदाता संख्या 1 का अपने स्वयं पिता मोहम्मदखां की खातेदारी जोत में खातेदारी में हिस्सा 1/14 बनता है जिसकी वह सह खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 अनुसार कोई भी खातेदार अपने देहान्त के समय जिस विधि (हिन्दु व मुस्लिम) से सासित होता था, उसकी खातेदारी जोत उसी विधि से उसके देहान्त के क्षण उसके वारीसान में निहित हो जाती है तथा उसी विधि से मृतक खातेदार के वारीसान हिस्सा प्राप्त करेगें। अपीलांट खेरदीन ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयानों के जिरह में यह बताया है कि में हिबा का मतलब नही जानता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों को समुचित अवसर प्रदान कर तनकियात कायम कर सही निर्णय पारित किया है तनकियात कायम करने के बाद प्रतिवादी अपीलांट को 4 अवसर साक्षी पेश करने हेतु दिये गये है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विधि अनुरूप अवलोकन कर सही निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को यथावत रखा जावे

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट पक्ष द्वारा जाहिर की गई आपतियों के संदर्भ में परीक्षण किया गया। अपीलांट ने साक्ष्य के बाद तनकी कायम करने की न्यायालय की प्रक्रियागत भूल को इंगित किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तनकीयात कायम करना न्यायालय की जिम्मेदारी है न कि पक्षकारान की। पक्षकारान द्वारा मुख्य परीक्षा में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपने कथनों एवं उनके प्रमाण में अभिलेख प्रदर्श करवाकर पेश किया गया है। वादीगण की साक्ष्य होने के पश्चात प्रतिवादीगण की साक्ष्य हुई तब तक किसी पक्ष द्वारा इस प्रक्रिया के संबंध में कोई उज्र/एतराज नहीं किया, यहं तक कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की प्रतिपरीक्षा (जिरह) तक पूर्ण कर ली गई। प्रतिवादी गवाह शकु (DW-2) के संबंध में की गई आपति पर पत्रावली का अवलोकन किया। उसकी साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र आदेशिका दिनांक 14.02.2017 से स्पष्ट है, परन्तु लेखन त्रुटि से लाल स्याही में अंकन दिनांक 13.02.2017 अंकित हो गई है क्योंकि 13.02.2017 को पत्रावली पेशी पर नही रखी हुई थी। तत्पश्चात मामले में दिनांक 27.02.2017 को तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली पुनः वादी साक्ष्य में रखी गई, परन्तु कोई नयी साक्ष्यी पेश नहीं हुई बल्कि पूर्व में प्रस्तुत शपथ–पत्रों को ही साक्ष्य स्वरूप ग्रहण करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात पत्रावली पुनःसाक्षी प्रतिवादी में रखी गई परन्तु आगामी तारीख पेशी पर प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित रहा लिहाजा एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 05.09.2017 को हुए। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.09.2017 को बहस सुनी जाकर निर्णय दिया गया। वाद के विचारण की इस सम्पूर्ण कार्यवाही में सुनवाई का समुचित अवसर तथा प्रक्रिया का पालना होना जाहिर है। अपीलांट खेरदीन द्वारा वादग्रस्त भूमि उसके स्व0 पिता मोहम्मद द्वारा अपने दो पुत्रों को हिब्बा करना अभिकथित किया है परन्तु वह जिरह में **"हिब्बा"** के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करता है। मुस्लिम विधि में हिब्बा के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति होने की वादी या उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है हिब्बा के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वयं अनभिज्ञता जाहिर करती है, कब्जे के परिदान की भी पुष्टि नही हो पाई है, न ही हिब्बा की गई भूमि का दो ग्रहीताओं में विभाजन ही सिद्ध हो पाया है। स्व0 मोहम्मद की मृत्यु के वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत निहित प्रावधानों के मुताबिक मुस्लिम विधि से शासित होकर उसके वारिसानों के नाम विरासतन भरा गया **नामांतरण संख्या 664 ग्राम रतेऊ** का अवलोकन किया इसमें **भी हिब्बा के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है** बल्कि यह अंकित हुआ है कि "मौहम्मद को फौत हुए करीब एक माह हुआ है उनके जायन्दा पुत्रों के नाम नामांतकरण भरा गया।" लिहाजा मामले में हिब्बा का कथन साबित नहीं होता है। स्व0 मोहम्मद के वारिसों में उसकी तीन पुत्रियाँ होने बाबत स्वयं वादी/अपीलांट खैरदीन ने जिरह में यह कहते हुए कि "मौहम्मद के तीन लड़कियाँ व दो लड़के है। लड़कियों के नाम जनीयत, भीमो, सकीनों है," स्वीकार किया है। लिहाजा स्व0 मोहम्मदखां के दो पुत्रों के अलावा 3 पुत्रियाँ वारिसान रूप में उसकी मृत्यु के वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

थी जो उसकी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि विरासतन अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार प्राप्त करने की हकदार थी। इस दृष्टि से स्व0 मोहम्मद की मृत्यु के समय विवादित आराजी बाबत् ग्राम रतेऊ के भरे गए नामानंतरण संख्या 664 विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है वह प्रारंभतः शून्य होकर काबिल खारिज है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुस्लिम विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2013 बअनवान जनियत बनाम खैरदीन वगै. में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

24/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner